

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2620
16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की हानि

2620. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान वर्ष सहित पिछले दस वर्षों के दौरान कुल फसल हानि कितनी है तथा ऐसी हानि का वर्ष-वार, राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्तमान वर्ष सहित पिछले दस वर्षों के दौरान ऐसी फसल हानि के लिए किसानों को वर्ष-वार, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितना प्रतिकर दिया गया है;
- (ग) सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन और सिंचाई की कमी के कारण होने वाली फसल हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और न्यूनतम करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा के साथ कोई रूपरेखा तैयार की है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): फसल हानि से संबंधित जानकारी का केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, प्रभावितों को राहत सहायता की राशि के संवितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात स्वीकृत मानकों के अनुसार पहले से उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत राज्यों को आवंटित एवं जारी किए गए फंड का विवरण ndmindia.mha.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सरकार ने फसल हानि से पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए खरीफ 2016 सीजन से देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) प्रारंभ की है, जिसे 'क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण' पर कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनाज, मिलेट एवं दलहन या तिलहन और वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए फसल-पूर्व से फसलोपरांत तक फसल क्षति के सापेक्ष व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान करती है। यह योजना प्राकृतिक जोखिमों जैसे बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, शुष्क अवधि, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग/आकाशीय बिजली, आंधी, तूफान, टेम्पेस्ट, हरिकेन और टॉर्नेडो से होने वाली व्यापक उपज हानि; स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग) तथा चक्रवात, असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण होने वाली फसलोपरांत हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के शुभारंभ से अब तक लगभग 2,301 लाख किसानों को 1,90,374 करोड़ रुपये की दावा राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक, बीमित किसानों को प्रदान किए गए कवरेज एवं भुगतान किए गए दावों का विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) कार्यान्वित करती है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए एनएमएसए के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित है ताकि उत्पादकता बढ़े और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके। मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत राज्यों को जैविक खाद एवं बायो-उर्वरकों के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में सहायता दी जाती है। जैविक खेती को परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के माध्यम से तथा प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। समेकित बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलन को बढ़ावा देते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) वर्ष 2011 से राष्ट्रीय जलवायु-अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। यह परियोजना कृषि पर अनियमित मानसून, चरम मौसम की घटनाओं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करती है। भविष्य के जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि को जिला-स्तरीय जोखिम एवं संवेदनशीलता का आकलन तथा जलवायु परिवर्तन की भावी संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत सिमुलेशन मॉडलिंग, अध्ययन किए जाते हैं। अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आईपीसीसी) के प्रोटोकॉल के अनुसार 651 प्रमुख कृषि जिलों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि के जोखिम एवं संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। इनमें से 310 जिलों को संवेदनशील चिह्नित किया गया था, जिनमें से 109 जिलों को 'अत्यधिक' और 201 जिलों को 'उच्च' संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। आईसीएआर ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने हेतु पिछले 10 वर्षों (2014-2024) में 2,900 किस्में जारी की हैं, जिनमें से 2,661 किस्में एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति अनुकूल हैं।

अनुबंध

दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के संयुक्त राज्य-वार व्यावसायिक आंकड़े

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बीमित किसान आवेदन (लाख)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
	कुल			रुपये करोड़ में
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.0	0.0	0.1	0.3
आंध्र प्रदेश	437.2	195.5	795.5	5,575.6
असम	62.9	37.4	35.5	724.5
बिहार	52.3	48.3	402.5	811.1
छत्तीसगढ़	435.4	212.1	1,627.2	7,651.9
गोवा	0.0	0.0	0.2	0.1
गुजरात	83.9	112.3	1,499.4	5,737.2
हरियाणा	388.9	151.9	2,351.2	9,006.3
हिमाचल प्रदेश	26.7	356.5	274.5	607.6
जम्मू एवं कश्मीर	9.6	5.6	67.9	156.9
झारखंड	71.6	33.0	75.4	857.3
कर्नाटक	223.6	190.9	2,536.3	17,475.5
केरल	9.6	5.0	76.2	741.9
मध्य प्रदेश	1,019.4	1,004.5	6,820.0	31,722.6
महाराष्ट्र	1,308.1	796.9	5,522.2	44,978.4
मणिपुर	0.4	0.4	3.8	10.5
मेघालय	0.9	0.4	0.8	24.5
ओडिशा	654.8	124.3	1,154.6	7,179.8
पुदुचेरी	2.0	0.8	1.4	18.8
राजस्थान	1,942.2	914.7	6,827.5	31,411.3
सिक्किम	0.1	0.0	0.5	0.2
तमिलनाडु	381.7	129.6	1,396.7	15,488.1
तेलंगाना	39.0	40.1	696.4	1,906.4
त्रिपुरा	14.0	2.6	3.8	12.3
उत्तर प्रदेश	529.4	337.6	3,100.0	5,801.2
उत्तराखंड	20.0	232.5	344.8	1,211.0
पश्चिम बंगाल	138.1	56.4	305.5	1,262.8
कुल योग	7,851.9	4,989.4	35,919.9	1,90,374.1
